

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 360 / 2026

अनवान : –

1. अभिषेक पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. देयन्त पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. फुलाराम पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. धर्मपाल पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
4. प्रियता पुत्रीफुलाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
5. अरकेन्द्र पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
6. बाला कुमारी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
7. दीपेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
8. पुष्पा पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
9. पुनम पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
10. परमेश्वरी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
11. सरोज पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपरिस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 04/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 के ख.न. 29 की 7.2070 हैक्टर भूमि ख.न. 58 की 6.3100 हैक्टर भूमि ख.न. 59/1 की 0.2150 हैक्टर भूमि कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 के ख.न. 58/2 की 8.3460 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जदी जायदाद भूमि है जो कि वादीगण के दादा सोहन उर्फ सुणाराम पुत्र नानकराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट है अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण एक दुसरे के कोपार्नसर है प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कर्ता खान दान होने के कारण अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 प्रतिवादीगण सं. 4 ता 11 का एक दुसरे के साथ हक व हिस्सा अनुसार कोपासनर है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण सं. 3 व 6 ता 11 का जो वाद भूमि में हक व हिस्सा का परित्याग वादी सं. 3 के पक्ष में कर दिया है एवं वाद भूमि के प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है इसी अनुसार वादी सं. 1. प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है व इसी प्रकार से वादी सं. 2 ने हक व हिस्सा का प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 2 के परित्याग कर दिया है अर्थात वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता-3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है अब वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 की कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 की कुल तादादी 8.3460 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Zahur
उपसल्ल अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जद्दी जायदाद भूमि है जो कि वादीगण के दादा सोहन उर्फ सुणाराम पुत्र नानकराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट है अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण एक दुसरे के कोपार्नसर है प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने कर्ता खान दान होने के कारण अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वादीगण व प्रतिवादीगुण सं. 1 ता 3 प्रतिवादीगण सं. 4 ता 11 का एक दुसरे के साथ हक व हिस्साअनुसार कोपासनर है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण सं. 3 व 6 ता 11 का जो वाद भूमि में हक व हिस्सा का परित्याग वादी सं. 3 के पक्ष में कर दिया है एवं वाद भूमि के प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है इसी अनुसार वादी सं. 1. प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है व इसी प्रकार से वादी सं. 2 ने हक व हिस्सा का प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 2 के परित्याग कर दिया है अर्थात वाद भूमि मं प्रतिवादी सं. 1 ता-3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है अब वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 की कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 की कुल तादादी 8.3460 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं 1 ता 11 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 के ख.न. 29 की 7.2070 हैक्टर भूमि ख.न. 58 की 6.3100 हैक्टर भूमि ख.न. 59/1 की 0.2150 हैक्टर भूमि कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिहस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 के ख.न. 58/2 की 8.3460 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का

Lalraj
उपसज्ज अधिकारी
नोहर

1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मांगेराम, फुलाराम व धर्मपाल के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादीगण का कथन है कि वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जदी जायदाद भूमि है जो कि वादीगण के दादा सोहन उर्फ सुणाराम पुत्र नानकराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट है अर्थात् वादीगण व प्रतिवादीगण एक दुसरे के कोपार्नसर है प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने कर्ता खान दान होने के कारण अनुचित तौर से दर्ज करवा ली जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 प्रतिवादीगण सं. 4 ता 11 का एक दुसरे के साथ हक व हिस्सा अनुसार कोपासनर है। वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण सं. 3 व 6 ता 11 का जो वाद भूमि में हक व हिस्सा का परित्याग वादी सं. 3 के पक्ष में कर दिया है एवं वाद भूमि के प्रतिवादीगण सं. 6 ता 11 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है इसी अनुसार वादी सं. 1. प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में प्रतिवादीगण सं. 1 ने हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है व इसी प्रकार से वादी सं. 2 ने हक व हिस्सा का प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 2 के परित्याग कर दिया है अर्थात् वाद भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता-3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है अब वाद भूमि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 की कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 3 अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 की कुल तादादी 8.3460 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी सं 1 ता 11 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 की कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं 3 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि वादी सं 3 को

Sahul.
 उपसभ अधिकारी
 नोहर

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 25/29 की कु 8.3460 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...04/06/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 360/2026

अनवान : -

1. अभिषेक पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. देयन्त पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. फुलाराम पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
3. धर्मपाल पुत्र सोहन उर्फ सुणाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
4. प्रियता पुत्री फुलाराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
5. अरकेन्द्र पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
6. बाला कुमारी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
7. दीपेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
8. पुष्पा पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
9. पुनम पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
10. परमेश्वरी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
11. सरोज पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उत्तरादा तहसील नोहर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 360 सन 2026 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 166/166 की कुल 3 खसेरजात की 13.7320 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि में वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि वादी सं. 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता सं. 25/29 की कु 8.3460 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर